62 (9) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु

मुझे उक्त विषय पर इस विभाग के दि. 19.5.1988 का का.ज्ञा. सं. 18(6)/98– जी एम और तारीख 21.8.1998 के का.ज्ञा. सं. 18(9)/98– जी एम का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ रूग्ण/असमर्थ उपक्रमों के मामले में सेवानिवृत्ति की आयु पर पुनः विचार करने का प्रस्ताव है। जिनके लिए पुर्नस्थापन/पुनरूद्धार पैकेज पर विचार किया जा रहा है। ऐसे मामलों में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में संबंधित कंपनी के बोर्ड को सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए और मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए संबंधित प्रशासन मंत्रालय/विभाग को उचित सिफारिशें करनी चाहिए।

सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उन सभी रूग्ण/असमर्थ उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु फिर से 58 वर्ष हो जाती है जिनके लिए पुर्नस्थापन/पुर्नरूद्धार पैकेज पर विचार किया जा रहा है तो वे उक्त प्रक्रिया का पालन करें। अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी इस प्रक्रिया से अवगत कराएं।

(डी पी ई का 9 मई, 2000 का का.ज्ञा. सं. 18(10)/99–जी एम- जीएल – 025)